


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक पं. 7(88) शिक्षा-2/2018/जयपुर दिनांक 12.02.19 एवं ज्ञापन एफ-1(2) एफडी (रूल्स) 06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 11 जून 2014 की अनुपालना में नीचे वर्णित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) द्वारा परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यरत परीवीक्षाकाल की अवधि में निम्नांकित अवधि में उपभोग किए गए अवकाशों का असाधारण अवैतनिक अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-


क्र.सं.	नाम व पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	विषय	लिय गये अवकाश की अवधि	दिनों की संख्या	अवकाश का प्रकार
1	रिंकू धौलीवाल, गुलमण्डी, भीलवाड़ा	गृह विज्ञान	15.11.2018 एवं 28.06.2019 (बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)	2	अवैतनिक अवकाश
2	रमनदीप कौर मान, खोर्रा, करौली	गृह विज्ञान	01.08.2017 से 05.08.2017 तक 14.08.2017 से 18.08.2017 तक (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)	10	अवैतनिक अवकाश
3	डॉ. सविता सिंह, बालिका राउमावि नोखा	गृह विज्ञान	23.11.2017 से 24.11.2017 तक (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)	2	अवैतनिक अवकाश


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक 22 / 01 / 2020

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/अवकाश/2018-19
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा।
02. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक।
03. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि।
04. संबंधित कार्मिक।
05. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
06. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर